परियोजना–कार्य

"कृषि सेवा सहकारी समिति मे कृषको की स्थिति एवं विपणन तंत्र का अध्ययन"

सत्र 2024–2025

एम. कॉम.(चतुर्थ सेमेस्टर) पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत

वाणिज्य संकाय

निर्देशक

सुश्री दिव्या साहू
अतिथि व्याख्याता ,वाणिज्य संकाय
शहीद कौशल यादव महाविद्यालय
गुण्डरदेही,जिला–बालोद(छ.ग.)

प्रस्तुतकर्ता

तारणी साहू
एम. कॉम. चतुर्थ सेमेस्टर
अनुक्रमांक– 2410476024
नामांकन –HU/123/20004014

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय,

गुण्डरदेही,जिला–बालोद(छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि तारणी साहू ,एम.कॉम. चतुर्थ सेमेस्टर ने सत्र 2024–2025 में "कृषि सेवा सहकारी समिति मे कृषको की स्थिति एवं विपणन तंत्र का अध्ययन "के विषय पर परियोजना कार्य मेरे निर्देशन में पूर्ण किया हैं।

प्राचार्य

श्रीमती डॉ. चंदना बोस
शासकीय शहीद कौशल यादव
महाविद्यालय गुण्डरदेही
जिला – बालोद (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. Shahid Koushal Yadav College
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

निर्देशक

सुश्री दिव्या साहू
अतिथि व्याख्याता, वाणिज्य संकाय
शासकीय शहीद कौशल यादव
महाविद्यालय गुण्डरदेही
जिला–बालोद (छ.ग.)

घोषणा पत्र

मैं तारणी साहू, शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही जिला बालोद (छ.ग.) में एम.कॉम. (चतुर्थ सेमेस्टर) की नियमित छात्रा हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे परियोजना कार्य का शीर्षक "कृषि सेवा सहकारी समिति मे कृषको की स्थिति एवं विपणन तंत्र का अध्ययन "है। यह मेरे द्वारा एकत्रित संमको एवं सूचनाओं के आधार पर लिखित मेरा मौलिक कृति है।

दिनांक – 02.05.2025
स्थान–गुण्डरदेही

प्रस्तुतकर्ता
तारणी साहू
एम. कॉम. चतुर्थ सेमेस्टर
शासकीय शहीद कौशल यादव
महाविद्यालय गुण्डरदेही
जिला–बालोद (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

कमांक	अध्याय	पृष्ठ
1	**प्रस्तावना** 1.1 भूमिका 1.2 अध्ययन का उद्देश्य 1.3 अध्ययन की परिकल्पना 1.4 अध्ययन की प्रविधि 1.5 अध्ययन की सीमाएं	7–15
2	**परिचय–** 2.1 कृषि सेवा सहकारी समिति का परिचय 2.2 कृषि सेवा सहकारी समिति का उद्देश्य 2.3 समिति के लाभ व उपयोगिता 2.4 समिति के सदस्य एवं सदस्यता प्रक्रिया 2.5 कृषकों को प्राप्त होने वाली प्रमुख योजनाओं का लाभ	16–25
3	**कार्य प्रणाली–** 3.1 कृषि सेवा सहकारी समिति की संरचना 3.2 कृषि सेवा सहकारी समिति की कार्य एवं गतिविधियां 3.3 समिति द्वारा किसानों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं 3.4 कृषक सम्मान निधि योजना	26–38
4	**क्षेत्र – (तहसील – गुण्डरदेही,जिला – बालोद ,छ. ग.)** 4.1 कृषि सेवा सहकारी समिति में किसानों की आर्थिक स्थिति की जानकारी 4.2 किसानों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं 4.3 कृषि साधनों, ऋण और अन्य सेवाओं का विवरण 4.4 किसानों के आय और व्ययों की जानकारी	39–46
5	**विश्लेषण –** 5.1 कृषि सेवा सहकारी समिति की पूंजी एवं वित्तीय स्रोत 5.2 समिति के कार्यों में प्रयोग का विश्लेषण 5.3 आंकड़ा /डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या	47–55
6	**समस्याएं –** 6.1 कृषि सेवा सहकारी समिति मैं किसानों को होने	56–60

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 भूमिका

1.2 अध्ययन का उद्देश्य

1.3 अध्ययन की परिकल्पना

1.4 अध्ययन की प्रविधि

1.5 अध्ययन की सीमाएं

1.1 भूमिका

(कृषि सेवा सहकारी समिति में कृषकों की स्थिति और विपणन तंत्र का अध्ययन)

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने, उन्हें आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध कराने तथा उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने हेतु सहकारिता आन्दोलन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। विशेष रूप से, कृषि सेवा सहकारी समितियाँ किसानों के लिए बीज, उर्वरक, ऋण, कृषि उपकरण तथा विपणन सुविधाएँ प्रदान कर, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक रही हैं।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि सेवा सहकारी समितियों के कार्य प्रणाली का विश्लेषण करना है, जिसमें यह समझा जाएगा कि ये समितियाँ कृषकों को किस प्रकार से सेवा प्रदान करती हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होता है, तथा कृषकों की इन समितियों के प्रति क्या स्थिति और भरोसा है। साथ ही, विपणन तंत्र की कार्यप्रणाली, उसकी चुनौतियाँ और उसके द्वारा कृषकों को होने वाले लाभ अथवा हानि का भी गहन अध्ययन किया जाएगा।

2.5 किसानों को मिलने वाले प्रमुख लाभ:

1. कृषि ऋण और वित्तीय सहायता

सहकार किसान कल्याण योजना इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, पशुपालन, बागवानी और डेयरी विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.

2. कृषि अवसंरचना विकास

अनाज भंडारण योजना सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत च्ब्ै स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर और प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, जिससे किसानों को अपनी उपज के भंडारण और विपणन में सुविधा मिलेगी.

PRESS INFORMATION BUREAU

3. स्वास्थ्य सेवाएँ

आयुष्मान सहकार योजना यह योजना सहकारी समितियों को अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में सुधार होता है.

4. कृषि प्रशिक्षण और सलाह

कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केंद्र योजना इस योजना के माध्यम से किसानों को कृषि से संबंधित सेवाएँ और परामर्श प्रदान किया जाता है। यह योजना बेरोजगार कृषि स्नातकों को स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। NABARD

5. मृदा स्वास्थ्य सुधार

अध्याय – 4

क्षेत्र – (तहसील–गुण्डरदेही,जिला–बालोद ,छ.ग.)

4.1 कृषि सेवा सहकारी समिति में किसानों की आर्थिक स्थिति की जानकारी

4.2 किसानों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं

4.3 कृषि साधनों, ऋण और अन्य सेवाओं का विवरण

4.4 किसानों के आय और व्ययों की जानकारी

4.1 कृषि सेवा सहकारी समिति में किसानों की आर्थिक स्थिति की जानकारी

सेवा सहकारी समिति में किसानों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण

सेवा सहकारी समितियाँ

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करती हैं। ये समितियाँ किसानों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती हैं जैसे कि कृषि ऋण, बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई के उपकरण और उपज का विपणन इत्यादि। इन सेवाओं के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। नीचे

1. ऋण सुविधा और कृषि निवेश

सेवा सहकारी समितियाँ किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। ...

इससे किसान समय पर बीज, खाद और कृषि उपकरण खरीद पाते हैं।

नकदी की कमी दूर होने से उत्पादन में वृद्धि होती है।

प्रभावः

किसानों की कृषि लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है, जिससे उनकी आय में सुधार होता है।

3. बीमा और बचत योजनाएँ

अध्याय – 5

विश्लेषण

5.1 कृषि सेवा सहकारी समिति की पूंजी एवं वित्तीय स्रोत

5.2 समिति के कार्यों में प्रयोग का विश्लेषण

5.3 आंकड़ा /डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या

5.1 कृषि सेवा सहकारी समिति की पूंजी एवं वित्तीय स्रोत

कृषि सेवा सहकारी समिति की पूंजी मुख्य रूप से सदस्यों द्वारा जमा की जाती है और इसमें सरकार से अनुदान या ऋण भी शामिल हो सकते हैं. इसके वित्तीय स्रोत सदस्यों की पूंजी, सरकार से ऋण, बैंक ऋण, और अन्य स्रोतों से भी हो सकते हैं.

विस्तार से:

सदस्यों की पूंजी

कृषि सेवा सहकारी समिति के सदस्य अपनी पूंजी का योगदान करते हैं, जो समिति की पूंजी का मुख्य स्रोत है.

सरकार से ऋण और अनुदान:

सरकार कृषि सेवा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें ऋण और अनुदान शामिल हैं.

बैंक ऋण:

समिति बैंक से ऋण भी ले सकती है ताकि वह अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान कर सके,

अन्य स्रोत:

समिति अन्य स्रोतों से भी धन जुटा सकती है. जैसे कि सदस्यों से ऋण, या अन्य संगठनों से अनुदान.

ऋण वितरण का सामान्य आंकड़ा

वर्ष	,ऋण प्राप्त किसानों की संख्या	वितरण ऋण राशि (लाख में)	औसत ऋण राशि
2021–22	110 किसान	225	20450
2022–23	90 किसान	200	22000
2023–24	30 किसान	300	10000

किसानों को विभिन्न प्रकार के बीज वितरण का विवरण

बीज का प्रकार	किसानों की संख्या
धान	120
गेहूं	80
चना	50
मक्का	30
कुल	280

तो इन आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट कुछ इस प्रकार हो सकता है–

धान – 43 %

गेहूं – 29 %

चना – 18 %

मक्का – 10 %

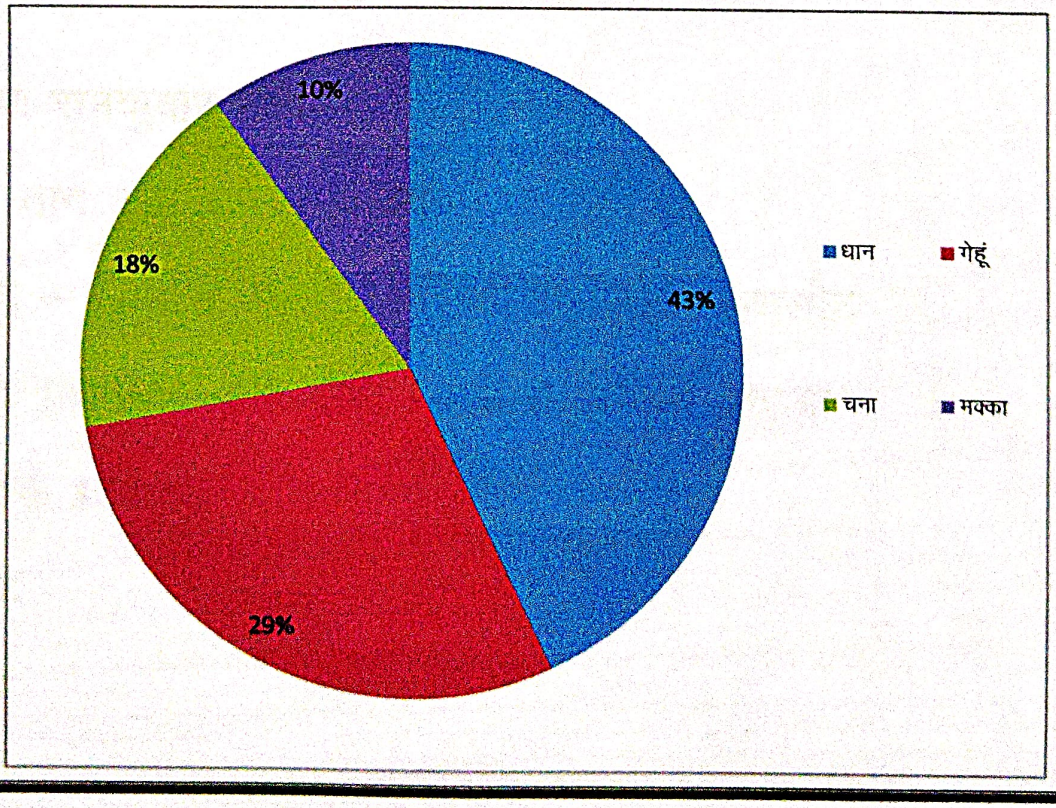

अध्याय – 6

समस्याएं

6.1 कृषि सेवा सहकारी समिति मैं किसानों को होने वाली समस्याएं

6.2 सुझाव

6.1 कृषि सेवा सहकारी समिति मैं किसानों को होने वाली समस्याएं

क्रीषि सेवा सहकारी समिति (Krishi Seva Sahkari Samiti) किसानों को बीज, उर्वरक, ऋण, कृषि उपकरण और बाजार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत होती है। इसके बावजूद किसानों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका अध्ययन आवश्यक है।

कृषि सेवा सहकारी समिति में किसानों को कई समस्याएं होती हैं, जैसे कि उचित मूल्य न मिलना, कर्ज का बोझ, और इनपुट की उच्च लागत । इन समस्याओं के कारण किसानों की आय कम हो जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है.

मुख्य समस्याएँ

1. समय पर उर्वरक और बीज न मिलना:

किसानों को खेती के लिए आवश्यक सामग्री समय पर नहीं मिलती, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है।

2. ऋण प्राप्त करने में कठिनाई:

कई किसानों को दस्तावेजों की कमी या गारंटी की मांग के कारण ऋण नहीं मिल पाता।

कुछ समितियाँ बिचौलियों के प्रभाव में होती हैं, जिससे पात्र किसानों को ऋण नहीं मिलता।

अध्याय 7

निष्कर्ष

7.1 परियोजना का मुख्य निष्कर्ष

अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश कृषक छोटे एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं, जिनकी कृषि भूमि सीमित है और संसाधनों की कमी के कारण ये पूर्ण रूप से कृषि सेवा सहकारी समितियों पर निर्भर रहते हैं।

समितियों से कृषकों को ऋण, बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं कृषि उपकरण जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है।

हालांकि, किसानों को समितियों से मिलने वाली सुविधाओं की प्रक्रिया में कई बार विलंब, पारदर्शिता की कमी और सूचना के अभाव की शिकायतें भी पाई गईं।